337

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक ————— / 2017 पुनरीक्षण

निगरानी / मुरैना / भू.रा. / 2017 / 6228.

1. दिनेशशर्मा पुत्र श्री रामनिवास, जाति ब्राहम्ण व्यवसाय कृषि

2. सतीशशर्मा पुत्र श्री रामनिवास, जाति ब्राहम्ण व्यवसाय कृषि

निवासीगण भाईखॅा का पुरा मोजा गोपी तहसील अम्बाह जिला मुरैना मध्यप्रदेश

श्री दिवाकर दीक्षित, अभि. द्वारा आज दि0 21-12-17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

—*आवेदकगण / निगरानीकर्ता*

बनाम

रामनरेश पुत्र श्री लज्जाराम जाति ब्राहम्ण व्यवसाय कृषि, निवासी भाईखॅा का पुरा मोजा गोपी तहसील अम्बाह जिला मुरैना मध्यप्रदेश —*अनावेदक*

Noted
05/01/18

दिवाकर दीक्षित (एड.)
ग्वालियर

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता1959 पारित आदेश दिनांक 24.11.2017 द्वारा न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय अम्बाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 03/2015–16 में आवेदक का आवेदन अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 निरस्त किये जाने से से व्यथित होकर। उक्त आदेश की प्रमाणित की प्रति प्रदर्श–पी–1 सलंग्न है।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक रामनरेश द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 178 म0प्र0 भू राजस्व संहिता वास्ते संयुक्त खाते की भूमि के बॅटवारे हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमे अनावेदक रामनरेश द्वारा मौजा गोपी एवं पंचोली मे स्थित भूमि सर्वे कमांक 1444, 1450, 1473, 1475, 1451, 1472, 1814, 1024, 865, 869, 1010, 1011, 1012 एवं 1023 को प्रश्नगत किया गया। उक्त आवेदन की प्रमाणित प्रति *प्रदर्श–पी–2* सलंग्न है।

(337)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/6228

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	